भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3486

उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026

सोमवार, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

पीएम-सेतु के तहत आईटीआई का उन्नयन और उद्योग के साथ तालमेल

3486. श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन (पीएम-सेतु) योजना के तहत उन्नयन के लिए 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के चयन हेतु अपनाए गए मानदंड क्या हैं तथा क्या राज्य/जिला-वार उनके वितरण में किसी प्रकार की असमानता का आकलन किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माण और हरित ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में वास्तविक वर्तमान और अनुमानित उद्योग की मांग के साथ इस योजना के तहत शुरू/उन्नत किए जा रहे पाठ्यक्रमों को संरेखित करने के लिए कोई उद्योग-परामर्श अभ्यास या कौशल-अंतर मापन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी का प्रस्तावित दायरा और शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या पाठ्यक्रम डिजाइन, उपकरण खरीद, संकाय प्रशिक्षण या प्लेसमेंट की गारंटी में निजी कंपनियों की कोई भूमिका होने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उन्नत आईटीआई के तहत प्रशिक्षित छात्रों के लिए प्लेसमेंट, प्रशिक्षुता अवशोषण या वेतन परिणामों के संबंध में कोई समय-बद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार योग्यता परिवर्तन (पीएम-सेतु) योजना के तहत देश में उन्नत प्रयोगशालाओं, आधुनिक मशीनों तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता को सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(i) आईटीआई एवं राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में प्रशिक्षण प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार करना;

(ii) उद्योग मानकों के अनुरूप अवसंरचना एवं उपकरणों का आधुनिकीकरण करना;

(iii) विशेष रूप से नवोन्मेषी एवं उभरते क्षेत्रों में उद्योग-अनुरूप दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करना;

(iv) मांग-आधारित कौश ल विकास तथा बेहतर रोजगार परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों के साथ सहभागिता को मजबूत करना; और

(v) प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता में वृद्धि करना।

इस योजना के अंतर्गत दो घटक शामिल हैं:

(i) घटक-I: 1,000 राजकीय आईटीआई (200 हब आईटीआई एवं 800 स्पोक आईटीआई) का हब एवं स्पोक मॉडल के अंतर्गत उन्नयन, जिसमें स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल शिक्षण सामग्री तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा।

(ii) घटक-II: भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर एवं लुधियाना स्थित पाँच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता में वृद्धि, जिसमें वैश्विक सहभागिता के साथ प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण हेतु क्षेत्र-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना भी शामिल है।

इस योजना के अंतर्गत राजकीय आईटीआई को शामिल करने संबंधी चयन मानदंड संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उभरती कौशल आवश्यकताओं एवं स्थानीय औद्योगिक क्षमता के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करते हुए उद्योग के परामर्श से निर्धारित किए जाते हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी संबंधित संचालन समितियों के माध्यम से स्थानीय परिस्थितियों एवं औद्योगिक परिदृश्य के आधार पर रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) अथवा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) के चरण में टर्नओवर एवं कर्मचारियों की संख्या जैसे उपयुक्त पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उद्योग की भागीदारी के लिए आमंत्रण जारी करते हैं और इसके प्रत्युत्तर में उद्योग राज्य संचालन समिति तथा राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) के अनुमोदन के लिए कार्यनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) प्रस्तुत करता है। अनुमोदन के उपरांत चयनित उद्योग के लिए विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) का गठन करना आवश्यक होता है। एसआईपी का अनुमोदन निर्धारित तकनीकी एवं वित्तीय आकलन प्रक्रिया पूर्ण होने की शर्त पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाता है; अतः असमानता का प्रश्न ही नहीं उठता। अब तक एंकर उद्योग भागीदारों (एआईपी) द्वारा प्रस्तुत सात (07) कार्यनीतिक निवेश योजनाओं (एसआईपी) को अनुमोदित किया गया है, जिनमें तेलंगाना राज्य से तीन, आंध्र प्रदेश राज्य से एक, राजस्थान राज्य से एक, ओडिशा राज्य से एक और गुजरात राज्य से एक एसआईपी शामिल है। अनुमोदित क्लस्टरों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) पाठ्यचर्याओं की समीक्षा एवं पुनरीक्षण एक सतत एवं आवश्यकता-आधारित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उन्हें तकनीकी प्रगति तथा उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए रखना है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मौजूदा पाठ्यचर्याओं का आकलन उभरती प्रौद्योगिकियों, बदलते व्यावसायिक मानकों, उद्योग की मांग, नियोजन रुझानों, शिक्षुता संबंधी आवश्यकताओं, प्रशिक्षण परिणामों तथा कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर किया जाता है।

पाठ्यचर्या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, उद्योग प्रतिनिधियों, सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी), राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई), विषय-विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, नियोजकों, कार्यान्वयन एजेंसियों तथा आवश्यकता अनुसार अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों सहित विभिन्न हितधारकों से व्यापक परामर्श किया जाता है।

मूल्यांकन तथा हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर पाठ्यक्रमों में नई प्रौद्योगिकियों, उद्योग 4.0 के अनुप्रयोगों, कृत्रिम मेधा (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), स्वचालन, हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डिजिटल कौशल, उद्यमशीलता, कार्यस्थल सुरक्षा, पर्यावरणीय टिकाऊपन तथा परिणाम-आधारित शिक्षण को शामिल करते हुए आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।

प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत 32 नव युगीन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, जिनका विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। चूँकि आईटीआई राज्य सरकारों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण में हैं, इसलिए राज्य सरकारें अपने आईटीआई में इन पाठ्यक्रमों का संचालन कर सकती हैं।

(ग) से (ङ) इस योजना के अंतर्गत उद्योग-संचालित विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) आईटीआई के उन्नयन की प्रक्रिया की अगुवाई करते हुए तथा स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाठ्यक्रम पुनर्रचना, प्रशिक्षण प्रदायगी मॉडल, अवसंरचना उन्नयन तथा उद्योग में व्यावहारिक अनुभव से संबंधित आवश्यक उपाय सुझाने के लिए अधिकृत हैं। इस योजना का उद्देश्य उद्योग-संचालित शासन व्यवस्था के माध्यम से शिक्षार्थियों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करके, शिक्षुता एवं कार्यस्थल पर व्यावहारिक अनुभव के अवसर उपलब्ध कराकर तथा कैरियर मार्गदर्शन, रोजगार सहायता एवं स्वरोजगार के अवसरों तक सुलभता प्रदान करके उनकी रोजगार योग्यता में वृद्धि करना है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को कृत्रिम मेधा (एआई), सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा तथा अन्य उच्च-विकास वाले औद्योगिक सेक्टरों जैसे उभरते क्षेत्रों में उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करना है।

इस योजना को पाँच वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किए जाने हेतु अनुमोदित किया गया है।

अनुलग्नक-I

"पीएम-सेतु के तहत आईटीआई का उन्नयन और उद्योग के साथ तालमेल" के संबंध में श्री कार्ती पी. चिदम्बरम द्वारा दिनांक 10.08.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3486 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

अनुलग्नक-I अनुमोदित किए गए क्लस्टर का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्लस्टर का नाम	हब आईटीआई	स्पोक आईटीआई
1	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम क्लस्टर	राजकीय आईटीआई, कांचरापालम	राजकीय आईटीआई (महिला), विशाखापत्तनम राजकीय आईटीआई, बोब्बिली, राजकीय आईटीआई नरसीपटनम
2	ओडिशा	क्योंझर-बारबिल क्लस्टर	राजकीय आईटीआई, बारबिल	राजकीय आईटीआई आनंदपुर, राजकीय आईटीआई कोइरा, राजकीय आईटीआई करंजिया, राजकीय आईटीआई बारकोटे
3	गुजरात	सूरत क्लस्टर	राजकीय आईटीआई, सूरत	राजकीय आईटीआई सूरत (महिला), राजकीय आईटीआई हजीरा, राजकीय आईटीआई बारडोली, राजकीय आईटीआई (महिला), सचिन
4	तेलंगाना	ओल्ड सिटी क्लस्टर	राजकीय आईटीआई, पुराना शहर	राजकीय आईटीआई वारंगल, राजकीय आईटीआई (बालक), नलगोंडा राजकीय आईटीआई विकाराबाद, राजकीय आईटीआई पंजागुड़ा
5	तेलंगाना	पाटनचेरु क्लस्टर	राजकीय आईटीआई, पाटनचेरु	राजकीय आईटीआई नलगोंडा (नया), राजकीय आईटीआई मारपल्ली, राजकीय आईटीआई भोंगिर, राजकीय आईटीआई शादनगर
6	तेलंगाना	संगारेड्डी क्लस्टर	राजकीय आईटीआई, संगारेड्डी	राजकीय आईटीआई हथनूरा, राजकीय आईटीआई मेडक, राजकीय आईटीआई येलारेड्डी, राजकीय आईटीआई दुब्बाका
7	राजस्थान	भिवंडी क्लस्टर	राजकीय आईटीआई, भिवंडी	आईटीआई नीमराना आईटीआई तिजारा आईटीआई किशनगढ़ बस आईटीआई अलवर

अनुलग्नक-II

"पीएम-सेतु के तहत आईटीआई का उन्नयन और उद्योग के साथ तालमेल" के संबंध में श्री कार्ती पी. चिदम्बरम द्वारा दिनांक 10.08.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3486 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

आईटीआई के अंतर्गत संचालित 32 नव युगीन ट्रेडों की सूची:

क्र.सं.	ट्रेड का नाम
1	एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (3D प्रिंटिंग) टेक्नीशियन
2	एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट फिटर
3	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट
4	एडवांस्ड सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन
5	कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग (CAM) प्रोग्रामर
6	साइबर सिक्योरिटी असिस्टेंट
7	डेटा एनोटेशन असिस्टेंट
8	ड्रोन पायलट (जूनियर)
9	ड्रोन टेक्नीशियन
10	इंजीनियरिंग डिज़ाइन टेक्नीशियन (एडवांस्ड टूल का इस्तेमाल करने वाला कारीगर)
11	फाइबर टू होम टेक्नीशियन
12	जियो-इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट
13	ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नीशियन
14	इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IIoT) टेक्नीशियन
15	इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग
16	इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
17	इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स टेक्नीशियन (स्मार्ट एग्रीकल्चर)
18	इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स टेक्नीशियन (स्मार्ट सिटी)
19	इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स टेक्नीशियन (स्मार्ट हेल्थकेयर)
20	मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल और ऑटोमेशन
21	मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल
22	मल्टीमीडिया, एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट्स
23	सेमीकंडक्टर टेक्नीशियन
24	स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट टेक्नीशियन
25	स्मार्टफोन टेक्नीशियन कम ऐप टेस्टर
26	सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट
27	सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल)
28	टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स
29	वर्चुअल एनालिसिस और डिज़ाइनर - एफ़ईएम (फाइनाइट एलिमेंट मेथड) (बेसिक डिज़ाइनर और वर्चुअल वेरिफायर)
30	विंड प्लांट टेक्नीशियन
31	5G नेटवर्क टेक्नीशियन
32	न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नीशियन
